अध्याय 4 : विधिक सेवा के लिए हक

12. विधिक सेवा देने के लिए मानदण्ड : प्रत्येक व्यक्ति, जिसे कोई मामला फाईल करना है या किसी मामले में बचाव करना है, इस अधिनियम के अधीन विधिक सेवा का हकदार होगा, यदि ऐसा व्यक्ति :–

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है,

(ख) संविधान के अनुच्छेद 23 मे यथानिर्दिष्ट मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ है,

(ग) स्त्री या बालक है,

(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ या अन्यथा असमर्थ है।

नोट : संसद द्वारा अधिनियम कमांक 1996–1 जो कि भारत के असाधारण राजपत्र भाग–11 के संस्करण कमांक 1 दिनांकित 1.1.96 में प्रकाशित हुआ, के आधार पर निम्न संशोधन जोड़ा गया है :–

(1) एक निर्योग्य व्यक्ति जैसा कि समान अवसर संरक्षण अधिनियम 1995 की धारा 2 के खण्ड 1 में परिभाषित है।

(2) संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 निम्नानुसार निर्योग्याताएं परिभाषित करता है :–

(अ) निर्योग्यताएँ से तात्पर्य है कि :–

(1) अन्धत्व,

(2) कमजोर दृष्टि

(3) कुष्ठ रोग

(4) श्रवण ह्रास

(5) चलने संबंधी निर्योग्यता

(6) मानसिक रूकावट

(7) मानसिक अस्वस्थता

(ड.) अनपेक्षित अभाव जैसे बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति है, या

(च) कोई औद्योगिक कर्मकार है, या

(छ) अभिरक्षा में है, जिसके अंतर्गत अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खण्ड (छ) के अर्थ में किसी संरक्षण गृह में या किशोर न्याय अधिनियम, 1986 की धारा 2 के (न) के अर्थ में किसी किशोर गृह में, या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की धारा 2 के खण्ड (छ) के अर्थ में किसी मनोचिकित्सीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय परिचर्या गृह में अभिरक्षा में रखा गया व्यक्ति भी है, या

(ज) ऐसा व्यक्ति है, जो यदि मामला उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय के समक्ष है तो सी हजार

रूपये या ऐसी अन्य उच्चतम रकम से कम जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए और यदि मामला उच्चतम न्यायालय को समक्ष है तो बारह हजार रूपये या ऐसी अन्य उच्चतर रकम से कम जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, वार्षिक आय के रूप में प्राप्त कर रहा है।

13. विधिक सेवा के लिए हक :

(1) वे व्यक्ति, जो धारा 12 में विनिर्दिष्ट मापदण्डों में से सभी या किसी को पूरा करते हैं, विधिक सेवाएँ प्राप्त करने के हकदार होंगे परन्तु यह तब जबकि संबंधित प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति के पास अभियोजित या प्रतिरक्षा करने के लिए प्रथम दृष्टतया मामला है।

(2) किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय के बारे में दिया गया शपथपत्र, विधिक सेवा के हक के लिए उसे पात्र बनाने के लिए पर्याप्त माना जा सकेगा जब तक कि संबंधित प्राधिकरण के पास ऐसे शपथपत्र अविश्वास करने का कारण न हो।